सप्तदश बिहार विधान सभा

चतुर्थ सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-03.12.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स० श्री राकेश कुमार रौशन, स०वि०स० ई० शशि भूषण सिंह, स०वि०स० श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स०वि०स० श्रीमती संगीता कुमारी, स०वि०स० श्री राहुल तिवारी, स०वि०स० श्री संजय कुमार सिंह, स०वि०स० श्री चेतन आनंद, स०वि०स० श्री महबूब आलम, स०वि०स० श्री मनोज मंजिल, स०वि०स० श्री कुमार सर्वजीत, स०वि०स० श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, स०वि०स० श्री अजय कुमार सिंह, स०वि०स० श्री चन्द्रहास चौपाल, स०वि०स० श्री सुधाकर सिंह, स०वि०स० श्री विजय कुमार, स०वि०स० श्री मुकेश कुमार रौशन, स०वि०स० डॉ० संजीव कुमार, स०वि०स०	“राज्य भर के विभिन्न काराओं में बड़ी संख्या में उम्र कैद की सजा प्राप्त कैदी 14 वर्ष की अपनी निर्धारित सजा पूरी करने के बाद भी राज्य परिहार परिषद् द्वारा समय पर निर्णय नहीं लेने के कारण जेलों में बेवजह निरूद्ध हैं । विलंब के बावजूद स्वाभाविक न्याय से वंचित रहने के कारण बंदियों के परिजनों और संबंधियों में निराशा मिश्रित आक्रोश है । अत: लोकमहत्व के उक्त विषय पर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	गृह

2. श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, स०वि०स० श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स० श्री अली अशरफ सिद्दिकी, स०वि०स०	"राज्य में मीटर रीडिंग का काम ऊर्जा फ्रेंचाइजी को दिया गया है । फ्रेंचाइजी एजेंसी बिना तकनीकी योग्यता के किसी को भी नियुक्त कर मीटर रीडिंग के काम में लगा देती है, जिसके कारण मीटर रीडिंग सही नहीं आ पाता है । राज्य में जितने भी बिजली बिल हैं उसका कम से कम 30 प्रतिशत गलत बिजली बिल दिया जा रहा है । यह कोई भूल नहीं बल्कि इसमें विद्युत विभाग के लोगों की भी संलिप्तता है । जान-बूझकर गलत बिजली बिल दिया जा रहा है ताकि उसमें सुधार के नाम पर लोग कार्यालय का चक्कर लगाएं । जहाँ केवल एक बल्ब जलता है उस झोपड़ी में भी 15 लाख तक बिल दिया जा रहा है । इस तरह की एक नहीं हजारों घटनाएं हैं । इससे बिजली बिल का भुगतान करनेवाले उपभोक्ताओं में सरकार एवं व्यवस्था के प्रति आक्रोश का भाव पैदा होता है । अत: बिजली उपभोक्ताओं को दिये जा रहे गलत बिल पर रोक लगाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-31/2021- 3637 / वि०स०, पटना, दिनांक- 02 दिसम्बर, 2021 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / गृह विभाग / ऊर्जा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2/12/21

(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-31/2021- 3637 / वि०स०, पटना, दिनांक- 02 दिसम्बर, 2021 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं संयुक्त सचिव के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

2/12/21

(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

2/12/21